अध्याय V

राज्य आबकारी

अध्याय-V: राज्य आबकारी

5.1 कर प्रशासन

शासन स्तर पर सचिव, वित्त (राजस्व), राज्य आबकारी विभाग (विभाग) के प्रशासनिक प्रमुख हैं । आबकारी आयुक्त, विभाग के प्रमुख हैं । विभाग सात संभागों में विभक्त है जिनके प्रमुख अतिरिक्त आबकारी आयुक्त हैं । जिला आबकारी अधिकारी और आबकारी निरीक्षक, आबकारी शुल्क एवं अन्य शुल्कों के आरोपण/संग्रहण की देखरेख तथा नियंत्रण का कार्य सम्बंधित संभागों के अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों के नियंत्रणाधीन करते हैं ।

5.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में वित्तीय सलाहकार के प्रभाराधीन एक आंतरिक लेखापरीक्षा समूह है । इस समूह को अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर जारी विभागीय निर्देशों की पालना को सुनिश्चित करने के लिए, निर्धारित मानदंडों के अनुरूप तथा अनुमोदित कार्ययोजना के अनुसार कर निर्धारण के प्रकरणों की नमूना जांच करनी होती है ।

गत पांच वर्षों की आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति निम्न **तालिका 5.1** में दी गयी है:

तालिका 5.1

वर्ष	बकाया इकाईयाँ	वर्ष के दौरान जोड़ी गई इकाईयाँ	कुल इकाईयाँ	वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयाँ		लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाईयाँ	लेखापरीक्षा हेतु बकाया इकाईयों का प्रतिशत
				पिछले वर्ष से संबंधित	चालू वर्ष से संबंधित		
2016-17	5	41	46	4	40	2	4
2017-18	2	44	46	5	28	13	28
2018-19	13	44	57	13	19	25	44
2019-20	25	44	69	9	18	42	61
2020-21	42	44	86	9	15	62	72

स्रोतः राज्य आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित इकाइयों में लगातार कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप अलेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या एवं प्रतिशत दोनों में वृद्धि हुई है । विभाग ने उत्तर दिया कि मानवशक्ति की कमी और राज्य में कोविड-19 महामारी की स्थिति के कारण लेखापरीक्षा में कमी हुई है । लेखा परीक्षा का मत है कि विभाग को मानवशक्ति बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिये ताकि अलेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या को कम किया जा सके ।

आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेदों की वर्ष-वार स्थिति निम्न **तालिका 5.2** में दी गयी है:

तालिका 5.2

वर्ष	2015-16 तक	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	योग
वर्ष के दौरान की गई लेखापरीक्षा के बकाया अनुच्छेद	154	87	95	141	196	262	**935**

स्रोतः राज्य आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना

इस प्रकार, 2020-21 के अंत में 935 अनुच्छेद बकाया थे, जिनमें से 154 अनुच्छेद पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। विभाग द्वारा कार्यवाही के अभाव और पिछले पांच वर्षों के दौरान बड़ी संख्या में अनुच्छेद लम्बित रहने से आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता कम हो जाती है।

सरकार को बकाया इकाइयों की लेखापरीक्षा को पूरा करने और राजस्व की छीजत को रोकने के साथ-साथ अधिनियम/नियमों के प्रावधानों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए बकाया अनुच्छेदों को कम करने के उचित उपाय कर आंतरिक लेखापरीक्षा समूह की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने पर विचार करना चाहिए।

5.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

राज्य आबकारी विभाग में 108 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयाँ (54 कार्यान्वयन इकाईयों सहित) हैं, जिनमें से लेखापरीक्षा द्वारा लेखापरीक्षा करने के लिए 41 इकाइयों (32 कार्यान्वयन इकाईयों सहित) का चयन किया गया। इन इकाईयों के अभिलेखों, जिनमें 2,623 खुदरा अनुज्ञाधारी (कुल 3,591 अनुज्ञाधारियों में से) सम्मिलित हैं, की संवीक्षा 6,159 प्रकरणों की जांच के साथ की गई। इसमें 4,529 प्रकरणों में (नमूना प्रकरणों का लगभग 74 प्रतिशत) राशि ₹ 51.37 करोड़ के आबकारी शुल्क व अनुज्ञापत्र शुल्क, अतिरिक्त राशि की अवसूली/कम वसूली, विलम्ब से भुगतान पर ब्याज/जुर्माना और प्रासव/मदिरा/बीयर की अधिक क्षति पर आबकारी शुल्क की हानि और अन्य अनियमितताएं प्रकट हुई। चयनित इकाइयों के अभिलेखों की जांच पर आधारित ये प्रकरण उदाहरण मात्र हैं। समान प्रकृति की कमियां लेखापरीक्षा द्वारा पूर्व के वर्षों में भी ध्यान में लायी गयी थी। तथापि, ये अनियमितताएं न केवल बनी रहीं अपितु इनमें से कुछ आगामी लेखापरीक्षा होने तक पहचानी नहीं जा सकी।

पायी गई अनियमितताएं मुख्यतः नीचे दी गयी **तालिका 5.3** में निम्नलिखित श्रेणियों में आती हैं**:**

तालिका 5.3

(**₹ करोड़ में**)

क्रं सं.	**श्रेणी**	**प्रकरणों की संख्या**	**राशि**
1	आबकारी शुल्क एवं अनुज्ञापत्र शुल्क की अवसूली/कम वसूली	1,160	33.56
2	भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर पर अतिरिक्त राशि की अवसूली/कम वसूली	1,157	9.78
3	प्रासव/मदिरा/बीयर की अधिक क्षति के कारण आबकारी शुल्क की हानि	31	0.67
4	विलम्ब से भुगतान पर ब्याज/जुर्माना की अवसूली	232	7.30
5	अन्य अनियमितताएं (i) राजस्व (ii) व्यय	 117 1,832	 0.06 0.00
योग		**4,529**	**51.37**

विभाग ने 4,170 प्रकरणों में निहित राशि ₹ 18.81 करोड़ की अनियमितताओं को स्वीकार किया, जिनमें से ₹ 17.08 करोड़ के 3,417 प्रकरण वर्ष 2020-21 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे । विभाग द्वारा 764 प्रकरणों में ₹ 2.70 करोड़ की राशि वसूल की गई, जिनमें से ₹ 0.97 करोड़ के 11 प्रकरण वर्ष 2020-21 में तथा शेष पूर्ववर्ती वर्षों में लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में लाये गये थे ।

उदाहरणस्वरूप विभाग की लेखापरीक्षित इकाइयों के कुछ प्रकरणों, जिनमें राशि ₹ 40.67 करोड़ शामिल है, पर अनुवर्ती अनुच्छेदों में चर्चा की गयी है । यह भी उल्लेखनीय है कि इनमें से अधिकतर मामले पूर्व में भी उठाए गए थे एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के पूर्ववर्ती वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाशित हुए जिनमें सरकार ने आक्षेपों को स्वीकार कर कार्यवाही/वसूली प्रारंभ की । तथापि, यह देखा गया कि विभाग ने मात्र उन्हीं मामलों में कार्यवाही की जो कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए तथा विभाग आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने में विफल रहा जिससे समान प्रकृति के प्रकरणों की आगामी वर्षों में पुनरावृत्ति हुई ।

5.4 कम्पोजिट फीस की कम वसूली

परिधीय क्षेत्र की दुकानों के लिए कम्पोजिट फीस की गलत गणना के परिणामस्वरूप राजस्व की कम प्राप्ति

राजस्थान आबकारी एवं मद्य-संयम नीति (नीति) 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 तथा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 के नियम 67-आई और 67-केकेके के अनुसार देशी मदिरा दुकानों/समूहों का बंदोबस्त एकाकी विशेषाधिकार राशि (ईपीए) के आधार पर किया जाता है । आबकारी आयुक्त द्वारा जिले में प्रस्तावित देशी मदिरा की दुकानों/समूहों की संख्या को उसकी ईपीए, कम्पोजिट फीस और अमानत राशि और आवेदन शुल्क को शामिल करते हुए देशी मदिरा लाइसेंस देने के लिए आवेदन आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया जाता है ।

उपर्युक्त नीति के अनुसार, नगरीय क्षेत्र के पाँच किलोमीटर के दायरे में अवस्थित गाँवों की देशी मदिरा दुकानों को 'परिधीय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों' के रूप में वर्गीकृत किया गया है । ऐसे परिधीय क्षेत्र के गांवों को नीति में निर्धारित संबंधित श्रेणियों के लिए कम्पोजिट फीस के साथ 'ए' और 'बी' के रूप में आगे और वर्गीकृत किया गया है । वर्ष 2016-17 से 2018-19 और वर्ष 2019-20 के लिए श्रेणी 'बी' की दुकानों की कम्पोजिट फीस को क्रमशः छह और आठ प्रतिशत निर्धारित किया गया था । यह उस विशेष समूह/दुकान के गत वर्ष की राजस्थान राज्य बेवरेजेज निगम लिमिटेड (आरएसबीसीएल) की वार्षिक बिलिंग राशि के बराबर या संबंधित नगरीय क्षेत्र में अवस्थित आईएमएफएल/बीयर दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस का 50 प्रतिशत या वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए ₹ 50,000 तथा वर्ष 2019-20 के लिए ₹ 75,000 में से जो भी अधिक हो, देय होगी ।

वर्ष 2016-17 से 2019-20 तक के वर्षों के लिए दो[1] जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों के अभिलेखों की नमूना जांच (दिसंबर 2020) के दौरान, यह देखा गया कि तीन देशी मदिरा दुकानों/समूहों को परिधीय क्षेत्र की 'बी' श्रेणी की दुकानों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। सम्बंधित अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ऐसे समूहों/दुकानों के लिए जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आवेदन आमंत्रित करने के लिए नोटिस में दी गई कम्पोजिट फीस, नीति के अनुसार उनकी संबंधित श्रेणियों के लिए निर्धारित राशि से कम थी। इसलिए, नीति के प्रावधानों को गलत तरीके से लागू करने से ₹16.62 लाख के राजस्व की कम प्राप्ति हुई।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। विभाग ने बताया (सितम्बर 2021) कि वसूली प्रक्रियाधीन है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

5.5 मासिक गारंटी राशि की कम वसूली

जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा देशी मदिरा अनुज्ञाधारियों से निर्धारित मासिक गारंटी राशि वसूल करने की विफलता से राजस्व की हानि

राजस्थान आबकारी एवं मद्य-संयम नीति (नीति) 2017-19 एवं 2019-20 के अनुसार देशी मदिरा दुकानों/समूहों का बंदोबस्त ईपीए के आधार पर किया जाना था। देशी मदिरा दुकान/समूह के खुदरा अनुज्ञाधारी देशी मदिरा पर आबकारी शुल्क के रूप में लाइसेंस अवधि के लिए निर्धारित ईपीए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इसके अलावा, अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार, अनुज्ञाधारी को संबंधित वर्ष के लिए निर्धारित समूह/दुकान के लिए निर्धारित वार्षिक ईपीए का भुगतान 12 समान मासिक किश्तों में करना था। मासिक किस्त का भुगतान उस महीने की अंतिम तारीख तक किया जाना था। यदि कोई अनुज्ञाधारी देशी मदिरा का न्यूनतम मासिक कोटा उठाने में विफल रहता है, तो वह आबकारी शुल्क के अंतर की राशि का नकद में भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

छह जिला आबकारी अधिकारियों[2] के कार्यालयों के अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया (जून 2020 और फरवरी 2021 के बीच) कि 2019-20 के दौरान 1,246 अनुज्ञाधारियों में से 410 ने संबंधित महीनों के लिए निर्धारित कोटा ₹ 250.44 करोड़ के समक्ष ₹ 242.14 करोड़ की देशी मदिरा उठाई। इसी तरह, 2018-19 के दौरान, दो जिला आबकारी अधिकारियों[3] के मामले में, 351 अनुज्ञाधारियों में से 28 ने संबंधित महीनों के लिए निर्धारित कोटा ₹ 12.03 करोड़ के समक्ष, ₹ 11.19 करोड़ की देशी मदिरा उठाई।

तथापि, संबंधित जिला आबकारी अधिकारी मासिक गारंटी राशि की अंतर राशि की वसूली करने में विफल रहे। इसलिए, जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप नीति प्रावधानों का उल्लंघन हुआ तथा ₹ 9.14 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

1 जिला आबकारी अधिकारीः टोंक (दो समूह/दुकानों), उदयपुर (एक समूह/दुकान)।

2 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, जयपुर (ग्रामीण), जयपुर (शहर), जोधपुर, टोंक एवं उदयपुर।

3 जिला आबकारी अधिकारी जयपुर (ग्रामीण) एवं टोंक।

इस मुद्दे को पिछले वर्षों के सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से उठाया गया है, जहां विभाग ने आक्षेपों को स्वीकार किया और लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए मामलों में कार्यवाही/वसूली शुरू की। इसके अलावा, सरकार ने यह भी कहा (दिसंबर 2020) कि एकीकृत आबकारी प्रबंधन प्रणाली (आईईएमएस) में मासिक गारंटी राशि की कमी की वसूली को सुगम बनाने हेतु आवश्यक प्रावधान जोड़ दिया गया है। तथापि, लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि मार्च 2021 तक इस तरह का प्रावधान नहीं लाया गया था।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021)। सरकार ने जवाब दिया (जुलाई 2021) कि ₹ 7.93 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021)।

5.6 अतिरिक्त राशि की अवसूली

जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा भारत निर्मित विदेशी मदिरा और बीयर की कम उठाई गई मात्रा के लिए निर्धारित अतिरिक्त राशि वसूल करने की विफलता से राजस्व की हानि

राजस्थान राज्य आबकारी एवं मद्य-संयम नीति (नीति) 2017-19 के पैरा 3.20 (ii) और 4.6 (ii) और नीति 2019-20 के पैरा 3.18 (i) और 4.6 के अनुसार, 2018-19 और 2019-20 के दौरान भारत निर्मित विदेशी मदिरा (आईएमएफएल) की कम उठायी गई मात्रा पर ₹ 20 प्रति बल्क लीटर (बीएल) और बीयर की कम उठायी गई मात्रा पर ₹ 10 प्रति बीएल की दर से अतिरिक्त राशि का शुल्क त्रैमासिक रूप से ऐसे खुदरा अनुज्ञाधारियों से लिया जाना था जिन्होंने पिछले वर्ष की उसी तिमाही में ली गई मात्रा की तुलना में चालू वर्ष की प्रत्येक तिमाही के दौरान आईएमएफएल और बीयर की न्यूनतम 10 प्रतिशत तक की वृद्धि नहीं की। प्रत्येक त्रैमास के अंत में ऐसी कम उठाई गई मात्रा की दुकान-वार गणना की जानी थी।

इसके अलावा, आबकारी आयुक्त (ईसी) द्वारा जारी निर्देशों (जून 2017 और जुलाई 2019) के अनुसार, संबंधित जिला आबकारी अधिकारी के स्तर पर कम उठाई गई मात्रा पर निर्धारित दर के अनुसार अतिरिक्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जानी थी।

छः जिला आबकारी अधिकारियों कार्यालयों[4] के अभिलेखों की नमूना जांच (जून 2020 और फरवरी 2021 के बीच) के दौरान, यह देखा गया कि 2019-20 के दौरान, 1,113 अनुज्ञाधारियों ने पिछले वर्ष की संबंधित तिमाही की तुलना में आईएमएफएल और बीयर उठाव में न्यूनतम 10 प्रतिशत तक की वृद्धि नहीं की और इस प्रकार ₹ 9.59 करोड़ की अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। इसी तरह, 2018-19 के दौरान, एक जिला आबकारी अधिकारी[5] के मामले में, 37 अनुज्ञाधारियों ने पिछले वर्ष की संबंधित तिमाहियों की तुलना में आईएमएफएल और बीयर के उठाव में न्यूनतम 10 प्रतिशत तक की वृद्धि नहीं की और इस प्रकार ₹ 0.16 करोड़ की अतिरिक्त राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी थे। तथापि, संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कम उठाई गई मात्राओं पर निर्धारित अतिरिक्त राशि वसूल करने में विफल

4 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, जयपुर (शहर), जयपुर ग्रामीण, जोधपुर, सीकर और उदयपुर।

5 जिला आबकारी अधिकारी, जयपुर (ग्रामीण)।

रहे । इसलिए, नीति के प्रावधानों को लागू करने में जिला आबकारी अधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 9.75 करोड़ के राजस्व की हानि हुई ।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021) । सरकार ने जवाब दिया (जुलाई 2021) कि ₹ 4.92 करोड़ की वसूली की जा चुकी है । आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021) ।

5.7 आबकारी शुल्क की अंतर राशि की अवसूली

जिला आबकारी अधिकारियों द्वारा देशी शराब अनुज्ञाधारियों से कम उठाई गई मात्रा पर आबकारी शुल्क की अंतर राशि वसूल करने की विफलता से राजस्व की हानि

राजस्थान आबकारी एवं मद्य-संयम नीति (नीति) 2016-17 से 2019-20 के अनुसार देशी मदिरा दुकानों/समूहों का बंदोबस्त ईपीए के आधार पर किया गया था । देशी मदिरा दुकान/समूह का अनुज्ञाधारी देशी मदिरा पर आबकारी शुल्क के रूप में लाइसेंस अवधि के लिए निर्धारित ईपीए का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था । इसके अलावा, अनुज्ञापत्र की शर्तों के अनुसार, अनुज्ञाधारी को संबंधित वर्ष के लिए निर्धारित दुकान/समूह के लिए निर्धारित वार्षिक ईपीए का भुगतान 12 समान मासिक किश्तों में करना था ।

इसके अलावा, नीति के बिंदु सं 3.7.6 तथा देशी मदिरा खुदरा विक्रय अनुज्ञापत्र की शर्त संख्या 2.3.1 के अनुसार देशी मदिरा समूहों के अनुज्ञाधारियों को माह की मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि का 40 प्रतिशत 50/60 यूपी[6] देशी मदिरा की उठाई गई मात्रा से पूरा करना था । यदि अनुज्ञाधारी किसी विशेष माह में 50/60 यूपी देशी मदिरा के निर्धारित गारंटी अनुपात को पूरा करने में विफल रहता है, तो वह संबंधित तिमाही के अन्य माहों में 50/60 यूपी देशी मदिरा का उठान इस प्रकार सुनिश्चित करेगा कि कुल तिमाही मासिक एकाकी विशेषाधिकार की 40 प्रतिशत गारंटी पूर्ति 50/60 यूपी देशी मदिरा के आबकारी शुल्क से और शेष 60 प्रतिशत गारंटी पूर्ति 40 यूपी देशी मदिरा के आबकारी शुल्क से हो । यदि एक तिमाही में निर्धारित 40 प्रतिशत से कम 50/60 यूपी देशी मदिरा का उठाव होता है तो अनुज्ञाधारी 50/60 यूपी देशी मदिरा के लिए निर्धारित आवश्यक कोटा और वास्तविक उठाव में अन्तर पर देय आबकारी शुल्क का भुगतान नकद मे करने के लिये उत्तरदायी था ।

सात जिला आबकारी अधिकारी[7] कार्यालयों के अभिलेखों की जांच (जून 2020 और मार्च 2021 के बीच) में देखा गया, कि 2019-20 के दौरान संबंधित तिमाहियों के लिए 520 अनुज्ञाधारियों ने ₹ 104.94 करोड़ के निर्धारित कोटे के समक्ष ₹ 100.97 करोड़ की 50/60 यूपी देशी मदिरा का उठाव किया और इस प्रकार ₹ 3.97 करोड़ की अंतर राशि के भुगतान के लिये उत्तरदायी थे । इसी तरह, कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी टोंक के मामले में, 2016-19 के दौरान

6 यूपी 'अंडर प्रूफ' को संदर्भित करता है । यह एक अल्कोहलिक पेय में अल्कोहल की मात्रा को दर्शाता है । उदाहरण के लिए, 50 डिग्री प्रूफ को 50 यूपी और 40 डिग्री प्रूफ को 60 यूपी के रूप में दर्शाया जा सकता है ।

7 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, अलवर, जयपुर (ग्रामीण), जयपुर (शहर), जोधपुर, सीकर और टोंक ।

132 अनुज्ञाधारियों ने संबंधित तिमाहियों के लिए ₹ 14.87 करोड़ के निर्धारित कोटे के समक्ष ₹ 13.30 करोड़ की 50/60 यूपी देशी मदिरा का उठाव किया और इस प्रकार ₹ 1.57 करोड़ की अंतर राशि के भुगतान के लिये उत्तरदायी थे । तथापि, संबंधित जिला आबकारी अधिकारी अंतर राशि वसूल करने में विफल रहे । इसलिए, नीति प्रावधानों को लागू करने में जिला आबकारी अधिकारी द्वारा कार्यवाही की कमी के परिणामस्वरूप ₹ 5.54 करोड़ के राजस्व की हानि हुई ।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा में देखा गया कि एकीकृत आबकारी प्रबंधन प्रणाली में एक अलग मॉड्यूल का अभाव है जो प्रत्येक तिमाही में 50/60 यूपी देशी मदिरा की कम उठाई गई मात्रा के विवरण को देशी मदिरा अनुज्ञाधारी से टैग कर सकता है, ताकि वसूली प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके और राजस्व की हानि को रोका जा सके ।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मई 2021) । सरकार ने जवाब दिया (जुलाई 2021) कि ₹ 1.69 करोड़ की वसूली की जा चुकी है । आगामी प्रगति प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2021) ।

5.8 परमिट शुल्क के कम आरोपण के कारण राजस्व की हानि

नीति प्रावधान के अनुरूप देशी मदिरा के परिवहन पर परमिट शुल्क की दर में वृद्धि को अधिसूचित करने में विफलता के कारण राजस्व की हानि

राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 (अधिनियम) की धारा 14 के अनुसार, किसी भी आबकारी शुल्क योग्य पदार्थ का अधिनियम की धारा 15, के अंतर्गत जारी पास (या परमिट) के बिना आयात, निर्यात अथवा परिवहन नहीं किया जा सकता, जो यह उपबंधित करती है कि आबकारी शुल्क योग्य पदार्थों के आयात, निर्यात अथवा परिवहन हेतु परमिट आबकारी आयुक्त अथवा इस संबंध में विधिवत रूप से सशक्त किये गये आबकारी अधिकारी द्वारा ऐसे प्रतिबंधों के अधीन अनुदत्त किया जा सकता है जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर लगाए ।

राजस्थान आबकारी नियम 1956 (नियम) के नियम 69 (बी)[8] के अनुसार, राजस्थान राज्य के भीतर देशी मदिरा के परिवहन के लिए ₹ 50 प्रति परमिट की परमिट फीस निर्धारित की गई थी। यह नियम मौजूदा प्रावधान के अतिरिक्त था कि देशी मदिरा के प्रत्येक खुदरा अनुज्ञाधारी को प्रत्येक परमिट के लिए ₹ 50 का भुगतान करना चाहिए, भले ही इसमें शामिल मात्रा कुछ भी हो। तदनुसार, 2018-19 तक विभाग द्वारा उत्पादन इकाई से राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड (आरएसजीएसएम) के गोदामों तक देशी मदिरा के परिवहन के लिए निर्माताओं को जारी किए गए परमिट पर और आरएसजीएसएम के गोदामों से उनके खुदरा बिक्री स्थल तक देशी मदिरा के परिवहन के लिए खुदरा अनुज्ञाधारियों को जारी किये परमिट पर ₹ 50 प्रति परमिट शुल्क लिया जा रहा था ।

8 अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2012 के माध्यम से जोड़ा गया ।

आबकारी और मद्य-संयम नीति (नीति) 2019-20 में परमिट शुल्क की दर ₹ 50 प्रति परमिट से बढ़ाकर[9] ₹ 1 प्रति बल्क लीटर (बीएल) कर दी गयी । तथापि, सरकार की अधिसूचना (अप्रैल 2019) द्वारा राजस्थान आबकारी नियम, 1956 में संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत वृद्धि को खुदरा अनुज्ञाधारियों को जारी किये गये परमिट हेतु आरएसजीएसएम के गोदामों से उनके खुदरा बिक्री स्थल पर देशी मदिरा के परिवहन को शामिल किया गया तथा उत्पादन इकाई से आरएसजीएसएम के डिपो तक देशी मदिरा के परिवहन के लिए निर्माताओं को जारी किए गए परमिट को शामिल नहीं किया गया ।

2019-20 के दौरान सात जिला आबकारी अधिकारी[10] कार्यालयों के तहत देशी मदिरा की 15 निर्माण इकाइयों के उत्पादन और प्रेषण के अभिलेखों की जांच (जून 2020 और फरवरी 2021 के बीच) में देखा गया कि उत्पादन इकाइयों से आरएसजीएसएम के गोदामों तक 22,944 परमिट्स के माध्यम से 16.18 करोड़ बीएल देशी मदिरा का परिवहन किया गया । उत्पादन इकाइयों से आरएसजीएसएम के गोदामों तक देशी मदिरा के परिवहन के लिए परमिट शुल्क में वृद्धि के अभाव में, परमिट शुल्क ₹ 1 प्रति बीएल के बजाय ₹ 50 प्रति परमिट की दर से लगाया गया । इसलिए, नीति प्रावधानों के अनुरूप परमिट शुल्क की दर में वृद्धि को अधिसूचित करने में सरकार की विफलता के कारण ₹ 16.07 करोड़ के राजस्व की हानि हुई ।

प्रकरण विभाग एवं राज्य सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2021) । राज्य सरकार ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2021) कि नीति का आशय केवल खुदरा अनुज्ञाधारियों की श्रेणी के लिये परमिट शुल्क में वृद्धि करना था, जिससे राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है ।

सरकार का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नीति में विशेष रूप से यह नहीं कहा गया था कि देशी मदिरा पर परमिट शुल्क में वृद्धि किसी विशेष श्रेणी के अनुज्ञाधारियों पर लागू थी । तथापि, नीति के विपरीत, उक्त अधिसूचना ने परमिट शुल्क में वृद्धि के दायरे को केवल डिपो से खुदरा बिक्री स्थल तक देशी मदिरा के परिवहन तक सीमित कर दिया । इसलिये, सरकार नीति प्रावधान के अनुरूप नियमों में संशोधन करने में विफल रही जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई ।

9 नीति के पैरा 4.9.3 के तहत ।

10 जिला आबकारी अधिकारी अजमेर, अलवर, बहरोड़ (उत्पादन इकाइयाँ), जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, जोधपुर और सीकर ।